राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–8)

विषयः– दिनांक 16–17 जुलाई, 2018 को कार्यशाला आयोजन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मा0 मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के निर्देशन में विभागीय समस्त योजनाओं की क्रियान्विति, समीक्षा एवं विचार विमर्श हेतु दिनांक 16–17 जुलाई 2018 को निम्नानुसार कार्यशाला आयोजित की जा रही हैः–

1. दिनांक 16.7.2018– समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
   समस्त अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
2. दिनांक 17.7.2018– समस्त मु0 का0 अधि0, अति0 मु0 कार्य0 अधि0
   विकास अधिकारी समस्त पंचायत समिति।

स्थानः– इंदिरा गांधी पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर
समयः– प्रातः 10:00 बजे

- दिनांक 16.7.2018 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अपने जिले की प्रगति स्वयं प्रस्तुत करेगें। प्रगति अनुसार जिले के लक्ष्य अर्जन की समीक्षा होगी, जिसकी सोफ्ट प्रति (पीपीटी) दिनांक 12.7.2018 तक भिजवायें।

- दिनांक 17.7.2018 को अच्छे प्रगति वाले जिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी लक्ष्य अर्जन प्रक्रिया एवं कार्य योजना के संबंध में अपने अनुभवों को अन्य जिलों के अधिकारियों को अवगत कराने हेतु प्रस्तुतीकरण देंगें, जिसकी सोफ्ट प्रति (पीपीटी) दिनांक 10.7.2018 तक भिजवायें।
- दिनांक 17.7.2018 को अच्छे प्रगति वाली एक पंचायत समिति, जिसमें योजनाओं की उत्कृष्ठ प्रगति रही है, विकास अधिकारी, पंचायत समिति द्वारा प्रस्तुतीकरण दिया जायेगा।

- जिला परिषदों से की जाने वाली समीक्षा के बिन्दु बुलेट पोईंट में दिनांक 9.7.2018 सांयकाल तक ई–मेल आईडी pdme2k_rdd@yahoo.com पर आवश्यक रूप से भिजवाने का कष्ट करें, जिससे जिलों को पीपीटी तैयार करने हेतु अवगत कराया जा सके।

Dasktop/PA/Latter-5

- समस्त योजनाओं का राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रगति का प्रस्तुतीकरण दिया जायेग, जिसकी पीपीटी सोफ्ट प्रति ई–मेल आईडी pdme2k_rdd@yahoo.com पर दिनांक 12.7.2018 तक भिजवाने का कष्ट करें।

07/07/18

(हितबल्लभ शर्मा)
परि. निदे. एवं पदेन उप सचिव
(मो. एवं मू.)

1. स्टेट मिशन निदेशक, राजीविका।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज विभाग।
3. आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
4. आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भूसंरक्षण विभाग।
5. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / सामाजिक अंकेक्षण।
6. निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन।
7. संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन), ग्रामीण विकास।
8. वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास।
9. परियोजना निदेशक एवं उप सचिव, एसएपी–I एवं II / मो. एवं मू.।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूल प्राधिकरण।
11. अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास।

अशा. टीप क्रमांकः प.5(16)ग्रावि / अनु.8 / सीईओ मीटिंग / 2018
जयपुर, दिनांक :– 7 JUL 2018

Dasktop/PA/Latter-5